



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122025-268744
CG-DL-E-22122025-268744

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5750]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 22, 2025/पौष 1, 1947

No. 5750]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 22, 2025/PAUSHA 1, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5947(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-62 के किमी 161.00 से किमी 269.260 (नागौर - बीकानेर सेक्शन) के पेव्ड शोल्डर के साथ चार लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-62 के किमी 161.00 से किमी 269.260 (नागौर - बीकानेर सेक्शन) पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नागौर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH62 के कि.मी 161 से कि.मी 203.5 तक	राजस्थान	नागौर	नागौर	1 करनेतपुरा 2 श्रीबालाजी 3 नया गांव 4 पाबुथल 5 धुंधवालो की ढाणी 6 कूकणो की ढाणी 7 अलाय 8 बाडाणी 9 इंदास 10 गोगेलाव 11 चुगावास 12 नब्बावास 13 गोवा खुर्द 14 राजूवास 15 दुकोसी 16 बुकर्मसोता

[फा. सं. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2025/13/3a]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2025

S.O. 5947(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for widening to 4 laning with paved shoulders from km. 161.00 to 269.260 (Nagur- Bikaner Section) of NH-62 in the State of RAJASTHAN.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 62 from km. 161.00 to 269.260 (Nagur- Bikaner Section) in the State of RAJASTHAN.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	ADM, Nagaur	NH62 KM 161 TO KM 203.5	RAJASTHAN	NAGOUR	Nagaur	1	Karnetpura
						2	Shribalaji
						3	Naya Gaon
						4	Pabuthal
						5	Dhundhwalon Ki Dhani
						6	Kukno ki Dhani
						7	Alay
						8	Badani
						9	Indas
						10	Gogelao
						11	Chugawas
						12	Nabbawas
						13	Gowa Khurd
						14	Rajoowas
						15	Dukosi
						16	Bukaram Sota

[F. No. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2025/13/3a]

SHAIKH AMINKHAN, Director